

हरिकान - वि.स.प्रा.क. ५.०: ६३/२

दिनांक	आज्ञा पत्र	कोफ़ी
19.7.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील खारिज नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्ट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सारे इजलास चुनाया गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर नम्बर में काम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">/ मु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	<p>Not Press</p> <p style="text-align: center;">19/7/2024</p>